समाचार पत्रों की कतरनें

अप्रैल, 2025

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 7 वाहनों के चालान

प्रति वाहन तीन हजार वसूला गया जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो

दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 हजार रुपये होगा जुर्माना

शिमला। जिले में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरटीओ शिमला की अगुवाई में विभाग की टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नाकाबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान सात गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़ी गईं। इन वाहनों चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग ने 3,000 रुपये प्रति वाहन चालान काटे हैं। विभाग ने दिनभर की गई कार्रवाई में 21,000 रुपये जुर्माना वसूला है। विभाग के मुताबिक पहली बार नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़े जाने पर तीन हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सात हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। प्रदेशभर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

हाई सिंक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमीनियम से बनी एक विशेष तरह की नंबर प्लेट है। इसमें सुरक्षा के लिए क्रोमियम आधारित होलोग्राम, लेजर-ब्रांडेड पहचान संख्या और अन्य सुरक्षा विशेषताएं होती हैं जिसे वाहन की सुरक्षा और पहचान को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया है। आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने लोगों से नियमों का पालन करते हुए नंबर प्लेट लगाने का आग्रह किया है।

अमर उजाला, दिनांक 3 अप्रैल 2025
पेज न0–03, कालम–1,2

सामान्य किराये में बढ़ोतरी की नहीं है कोई जरूरत, प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने उठाई मांग

महिलाओं को मिलने वाली 50 फीसदी छूट खत्म हो

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

- न्यूनतम किराया 10 रुपये करने की मांग उठाई
- मैदानी इलाकों के किराये में भी की जाए बढ़ोतरी

हिमाचल प्रदेश में सामान्य किराये में बढ़ोतरी की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश में केवल न्यूनतम किराये में बढ़ोतरी के साथ मैदानी इलाकों के सामान्य किराये में वृद्धि व महिलाओं को मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट को खत्म किया जाए। यह मांग प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने उठाई है।

हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि प्रदेश में किराया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि निजी बस ऑपरेटर और एचआरटीसी को अलग अलग तराजू में न तोलने का आग्रह सरकार से किया है। प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि हिमाचल में सामान्य किराया सबसे ज्यादा है, जबकि न्यूनतम किराया सबसे कम है। इसलिए न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया जाए, जबकि सामान्य किराया बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में किराया 2.19 रुपये प्रति किमी है, जबकि मैदानी क्षेत्रो में 1.40 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में किराया चाहे 19 पैसे कम करके 2 रुपये प्रति किमी करे, लेकिन मैदानी क्षेत्र में किराया बढ़ाकर 1.75 रुपये प्रति किमी किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में दो तरह के किराये का अंतर कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वह सामान्य किराया बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर बोझ डालने के पक्ष में नहीं है, जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में जो रियायत दी जा रही है उसको खत्म करने के पक्ष में है, जिसमें महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत दी जा रही छूट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटर संघ की मांग है कि या तो इस छूट को समाप्त किया जाए या निजी बस ऑपरेटर को भी एचआरटीसी को मिलने वाले वार्षिक 170 करोड़ रुपये के मुआवजे की तर्ज पर मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि व्यवसाय में संतुलन बना रहे।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में बसों का न्यूनतम किराया 15 से 20 रुपये के बीच है। जबकि हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दशकों से अधिक समय से यह मात्र 5 रुपये बना हुआ है। ईंधन और अन्य लागतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए निजी बस ऑपरेटरों ने मांग की है कि न्यूनतम किराया पंजाब राज्य के समान 15 रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान तत्कालीन सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की कार्य पूंजी विभिन्न बैंकों के माध्यम से जारी की थी, जिसका ब्याज तीन वर्षों तक सरकार द्वारा वहन किया जाना था। अब तक सरकार द्वारा यह ब्याज नहीं भरा गया, जिससे कई निजी बस ऑपरेटर बैंक डिफॉल्टर हो चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि यदि सरकार ब्याज देने में असमर्थ है, तो यह राशि स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में छूट देकर समायोजित की जाए। उन्होंने कहा कि काफी समय से बसों की बैठने की क्षमता को कम करने का मामला लंबित है। कुछ बसों का यह कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुछ का अब भी शेष है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 5 अप्रैल 2025
पेज न0–04, कालम–1,2,3,4,5

बिना फिटनेस सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को ले जाने वाली दो बसों के चालान

औचक निरीक्षण के दौरान आरटीओ ने की कार्रवाई, टैक्सियों के जांचे दस्तावेज

शिमला। शहर के निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को लाने और ले जाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर कई बसें चल रही हैं। आरटीओ शिमला के डीएवी टुटू के बाहर स्कूल बसों और टैक्सियों की जांच में यह बात सामने आई है। निरीक्षण में परिवहन विभाग ने दो ऐसी बसों को पकड़ा है, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे। आरटीओ शिमला ने दोनों के बसों के चालान काटकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

स्कूल प्रबंधन ने बताया कि दोनों बसें स्कूल की नहीं हैं और निजी तौर पर इनका संचालन किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक इसके बावजूद स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने वाली बसों और टैक्सियों के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि उन्हें स्कूल बच्चों को लाने और छोड़ने वाले वाहनों के बारे में सभी जानकारियां रखनी होंगी। इसमें वाहनों की फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों का समय पर नवीनीकरण किया जा रहा है या नहीं। बसों के चालकों के पास वैध लाइसेंस हैं सहित अन्य जानकारियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। विभाग ने साफ किया है कि ऐसे वाहनों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर इसकी जिम्मेदारी स्कूलों की होगी।

आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि डीएवी टुटू के बाहर दो स्कूल बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने वाली बसों को लेकर स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी भी है और वह इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। ब्यूरो

अमर उजाला दिनांक 9 अप्रैल 2025
पेज न0–04, कालम–4,5

कैशलेस उपचार योजना में देरी अदालत के आदेशों का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना को लागू करने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही इस मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को 28 अप्रैल को पेश होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अपने 8 जनवरी के आदेश के पालन करने में विफल रहने पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि इस मामले में दिया गया समय 15 मार्च को समाप्त हो गया है। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह न केवल इस अदालत के आदेशों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि एक बेहद उपयोगी कानून को लागू करने का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शीर्ष अधिकारियों को यहां बुलाया जाता है तो वे कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से लेते हैं।

गोल्डन आवर में इलाज पर बच सकती है जान...

शीर्ष अदालत ने मोटर वाहन कानून-1988 की धारा 162(2) का हवाला देते हुए सरकार को 14 मार्च तक योज़ना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। दरअसल इस कानून की धारा 2 (12-ए) के तहत परिभाषित गोल्डन आवर का आशय किसी दर्दनाक चोट के बाद पहले एक घंटे की अवधि से है। इसके तहत समय पर उपचार मिलने से दुर्घटना के पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। पीठ ने स्वर्णिम घंटे के दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वित्तीय या प्रक्रियागत बाधाओं के कारण होने वाली देरी से अक्सर पीड़ित की जान चली जाती है। ब्यूरो

सुविधा के अभाव में लोग मर रहे

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी ने इस योजना को लागू करने में देरी के लिए बाधाओं का हवाला दिया। इस पर पीठ ने कहा, यह आपका अपना कानून है और कैशलेस उपचार की सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं। पीठ ने कहा, यह आम लोगों के फायदे के लिए है। हम अवमानना के तहत कार्रवाई करेंगे। शीर्ष अदालत ने एएसजी बनर्जी से कहा कि आप अपने सचिव को बुलाकर स्पष्टीकरण देने को कहें। पीठ ने परिवहन विभाग के सचिव को सभी जिला मजिस्ट्रेट को अज्ञात हिट-एंड-रन मामलों के दावों को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) पोर्टल पर अपलोड करने के लिखित निर्देश जारी करने को कहा है।

अमर उजाला दिनांक 10 अप्रैल 2025
पेज न0–10, कालम–4,5

ड्राइविंग टेस्ट में 138 लाइसेंस बने, 38 वाहन किए पास

शिमला। परिवहन विभाग की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की टीम ने वीरवार को तारादेवी में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल करवाया। इनमें 132 चालकों ने टेस्ट पास किया।

कई चालक अपने वाहनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसके अलावा कॉमर्शियल वाहनों की जांच पड़ताल करते हुए मानकों पर खरे उतरने वाले 32 वाहन पास किए गए। इसमें निजी बसें, ट्रक, पिकअप, टैक्सियों संहित कारों को पास किया गया। अब पासिंग के लिए 24, 25 और 30 अप्रैल का समय है।

तारादेवी में वीरवार को ड्राइविंग टेस्ट सहित कॉमर्शियल वाहनों को पासिंग के लिए बुलाया गया है। इस दौरान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने टीम के साथ मिलकर वाहनों की चेकिंग के साथ में ड्राइविंग टेस्ट लिए। इनकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। संवाद

अमर उजाला दिनांक 18 अप्रैल 2025
पेज न0–4, कालम–2,3

* * *